न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2020(2020/00088)

घीसालाल पुत्र केसरा कहार निवासी मेहरूकलां रोड़ सावर तहसील सावर जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:—

1. श्री नवल किशोर पारीक वकील— प्रार्थी
2. तहसीलदार सावर —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 5.2.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सावर पटवार हल्का सावर तहसील सावर जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खेवट खतौनी संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म आराजी
362—324	6073/15	0.32	बारानी 3

उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी के उत्तर पूर्वी और के सीमा चिन्हे खुर्द बुर्द हो गये तथा पड़ोसियों से आये दिन कब्जे काश्त मे लड़ाई झगडे होते है। क्योकि उक्त आराजी पर पड़ौसी अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी का दावा करना लाजिमी आया है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थी को आराजीयात के अन्य पड़ौसियान से विवाद नही करना पडे,एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियों मे उलझना नहीं पडे,इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी दिनांक 25.05.2020 को काश्त करने गये तो पड़ौसियों ने सीमा चिन्ह नहीं होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिन्हो के अभाव मे हमारे खेत मे भी काश्त नहीं करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है। उकत संबंध मे दिनांक 09.05.2019 को राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियों ने मौका पर्चा भी बनाया था लेकिन इसके पश्चात भी आराजीयात के पड़ौसियान द्वारा प्रार्थी को सीमाचिन्हो के अभाव मे खेत काश्त नहीं करने की धमकी दी है। प्रार्थी काश्त नहीं करने की धमकी दी है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी की फीस नियमानुसार अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी को लैण्ड लौर्ड होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा कोर्ट फीस लगा दी गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजीयात की पत्थरगढ़ी कर प्रार्थी की उपस्थिति मे तहसीलदार सावर को पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करावे ताकि पुख्ता सीमा चिन्ह बनाये जा सके। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से जवाब सरकार तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सावर ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र चलने योग्य व स्वीकार किया जाने योग्य बताया है। जवाब सरकार प्रस्तुत होने पर प्रक[illegible] सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे ब[illegible] कि [illegible] सावर की जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या नया—पुराना 362—324 खसरा [illegible]/15 रकबा 0.32 है0 बारानी 3 घीसा पुत्र केसरा कहार के नाम [illegible] सरकार ने भी [illegible] प्रदान की है। उन्हे भी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात [illegible] पत्थर गढ़ी करने मे कोई [illegible] नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया। ग्राम सावर की जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या नया—पुराना 362—324 खसरा 6073/15 रकबा 0.32 है0 बारानी 3 घीसा पुत्र केसरा कहार के नाम

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खातेदार हक से दर्ज है। खातेदार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढ़ी, नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर , करा सकता है। अतः प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करावे तो तहसीलदार सावर आराजी की पत्थरगढ़ी नियमानुसार दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर ,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के पड़ोसियों की उपस्थिति मे की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी,
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:14:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner